राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम जयपुर 302005
दूरभाष सं0 0141–2222403, वेबसाईट www.cmar-india.org, ई–मेल: dlbrajasthan @gmail.com

क्रमांक : प.1(क)( )कार्मिक / आर.एम.एस. / डीएलबी / 2024 / 5927 दिनांक : 07/03/2024

आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभागों / निगमों / मण्ड़लों / निकायों / राजकीय उपक्रमों के अधिकारियों / कार्मिकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन पर लगे हुये प्रतिबन्ध में दिनांक 10.02.2024 से 22.02.2024 तक की अवधि के लिये शिथिलन प्रदान किया गया था। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उक्त अवधि में राजस्थान नगर पालिका (तकनीकि व प्रशासनिक) सेवा संवर्ग एवं राजस्थान नगर पालिका (मंत्रालयिक व अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के अधिकारियों / कार्मिकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश जारी किये गये हैं। उक्त राज्यादेशों की पालना में सम्बन्धित अधिकारियों / कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त होकर नवपदस्थापित नगर निकाय में कार्य ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी भी कतिपय अधिकारियों / कार्मिकों द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर पालना रिपोर्ट से विभाग को अवगत नहीं करवाया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न राज्यादेशों द्वारा नगरीय निकायों के जिन प्रशासनिक व तकनीकि अधिकारियों एवं मंत्रालयिक, अधीनस्थ व चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के स्थानान्तरण / पदस्थापन किये गये हैं, वे उक्त आदेशों की पालना में अविलम्ब कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर अनुपालना रिपोर्ट से विभाग को अवगत करावें। यदि सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा उक्त आदेशों की पालना नहीं की जाती है, तो राज्यादेशों की अवहेलना मानते हुये, सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा एवं सम्बन्धित के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक की होगी।

इसे गम्भीरता से लिया जावे।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)( )का. / आर.एम.एस. / डीएलबी / 2024 / 5928-6228 दिनांक : 07/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त)।
5. जिला कलेक्टर (समस्त)।
6. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें (समस्त)।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग (समस्त)।
8. वित्तीय सलाहकार / उप निदेशक (प्रशासन) / वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय।
9. उपायुक्त (कार्मिक), नगर निगम, जयपुर हैरिटेज / ग्रेटर।
10. आर.एम.एस. संस्थापन अनुभाग / आर.एम.एस. (तकनीकि) संस्थापन अनुभाग / एस.एम.ई. अनुभाग / आर.एम.एस. (जांच) अनुभाग / निदेशालय।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(श्याम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त निदेशक